

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/ दिनांक :

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर के स्तर से जारी आदेश दिनांक 26.06.2018 एवं 29.06.2018 में निम्नानुसार अशुद्धियों को शुद्ध किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदनाम	आदेश/दिनांक (क्र.सं.)	संशोधन
1	मुन्नी देवी, च.श्रे.कर्मचारी	583/26.06.2018 (41)	वर्तमान पदस्थापन स्थान सीएचसी तासींग, अलवर के स्थान पर प्रा.स्वा.केन्द्र, तसींग, अलवर।
2	रामलाल गुर्जर, फार्मासिस्ट	596/29.06.2018 (2)	वर्तमान पदस्थापन प्रा.स्वा.केन्द्र, बिडकचियावास, जयपुर के स्थान पर सा.स्वा.केन्द्र, पीसांगन, अजमेर।
3	बलवीर सिंह, लेब टैक्नीशियन	597/29.06.2018 (141)	स्थानान्तरित स्थान सीएचसी पिलानी, झुंझुनू के स्थान पर प्रा.स्वा.केन्द्र, पिलानी, झुंझुनू।
4	संजय मांडिया, फार्मासिस्टस	596/29.06.2018 (158)	वर्तमान पदस्थापन स्थान प्रा.स्वा.केन्द्र, देवला, प्रतापगढ़ के स्थान पर जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़।
5	अशोक कुमार शर्मा, लेब टैक्नी.	597/29.06.2018 (103)	वर्तमान पदस्थापन स्थान प्रा.स्वा.केन्द्र, सेवन्त्री, राजसमंद के स्थान पर सा.स्वा.केन्द्र, केलवाडा, राजसमंद।
6	गौरव गर्ग, फार्मासिस्ट	596/29.06.2018 (379), (380)	पीएचसी, दादाबाडी, कोटा के स्थान पर सा.स्वा.केन्द्र, दादाबाडी, कोटा।
7	प्रवीण गौतम	597/29.06.2018 (68)	कार्मिक का नाम प्रवीण गौतम के स्थान पर प्रवीण गौतम।
8	अमरजीत सिंह	596/29.06.2018 (118)	वर्तमान पदस्थापन स्थान पीएचसी जारडिया, बाडमेर के स्थान पर प्रा.स्वा.केन्द्र, बालेवा, शिव, बाडमेर।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/629

दिनांक : 10-07-2018

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर